मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 29, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा दी गई स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर चर्चा की मांग की गई। सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के कारण सदन की कार्यवाही में व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण बना)

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होने के कारण वर्तमान में नियमानुसार प्रश्नकर्ता सदस्यों द्वारा प्रश्नों पर चर्चा की जाए।

(संपूर्ण कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 80 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 87 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सत्तापक्ष के अधिकांश सदस्यगण द्वारा भोपाल गैस काण्ड से संबंधित तख्तियों का प्रदर्शन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की रतलाम के रेल्वे फाटक बंद होने से अंडर ब्रिज बनाये जाने,

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में सातवीं बटालियन के कर्मचारियों को अर्दली बनाये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा के लैक्सेस उद्योग में आग लगने से उत्पन्न स्थिति,

(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की सरदार इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्य न होने,

(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर की कालोनी में खेल मैदान न होने तथा

(6) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की जावरा के चौपाटी चौराहे पर बायपास एवं अंडर ब्रिज बनाये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामोद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखे।

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखे।

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण का नाम पुकारा गया, किन्तु उनके द्वारा ग्वालियर नगर के विक्टोरिया मार्केट में अग्नि से पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं पढ़ी गई।

(2) श्री आरिफ अकील एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण का नाम पुकारा गया, किन्तु उनके द्वारा प्रदेश के कृषकों द्वारा विक्रय किये गये बीज की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा न किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं पढ़ी गई।

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले के खोड़सा स्थित निजी तालाब से सिंचाई हेतु पानी न छोड़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, किन्तु व्यवधान के कारण जल संसाधन मंत्री द्वारा वक्तव्य नहीं दिया जा सका।

(4) श्री मदन कुशवाह, सदस्य ने ग्वालियर जिले के बेलागांव में गोली चालन की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया किन्तु व्यवधान के कारण गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य नहीं दिया जा सका।

6. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने दिनांक 7 जुलाई, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक 548) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) को सदन की अनुमति पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण का नाम पुकारा गया, किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण चर्चा प्रारम्भ नहीं की गई।

पूर्वाह्न 11.12 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 30, 1932) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2010